(10)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/वि०3–22/2015 34 पटना, दिनांक: 18/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री जयचन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दिनारा प्रखंड, रोहतास–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी बेलवईया सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रामगढ़, कैमूर के पद से दिनांक–30.09.2019 को सेवानिवृत के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–33 (मु०)/आ० दिनांक–22.04.2015 द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में भेजे गये गेहूँ के गबन से संबंधित आरोप के आलोक में इन पर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी। इन पर आरोप था कि इनके द्वारा 31369.75 क्विंटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की गयी थी जिसमें से 29944.70 क्विंटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया। शेष 1425.05 क्विंटल गेहूँ उनके द्वारा गायब कर दिया गया। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने इनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने का प्रतिवेदन दिया था जिसपर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर निदेशालय के का०आ०सं०–11 सहपठित ज्ञापांक–53 दिनांक–08.01.2018 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है। साथ ही इसमें जिला पदाधिकारी,रोहतास से अनुरोध किया गया है कि वे आरोपी श्री जयचन्द्र प्रसाद से गबन की उक्त राशि की वसूली हेतु विधिसम्मत् कार्रवाई करेंगे। निदेशालय के इस आदेश के विरूद्ध श्री जयचन्द्र प्रसाद ने अपीलीय प्राधिकार–सह–सचिव, योजना एवं विकास विभाग के समक्ष अपील भी दायर किया था जिसे का०आ०सं०–341 सहपठित ज्ञापांक–1992 दिनांक–28.09.2018 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री जयचन्द्र प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No. 7205/2019 दायर किया गया था जिसमें दिनांक–17.06.2019 को न्यायादेश पारित हुआ। न्यायादेश द्वारा श्री जयचन्द्र प्रसाद पर अधिरोपित निदेशालय का आदेश दिनांक–08.01.2018 एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति से संबंधित आदेश दिनांक–28.09.2018 को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश दिया गया:–

" The matter is remitted to the Disciplinary Authority to subject the petitioner to such proceedings ab ovo immediately from the stage of framing of charge. It would be open for the Department to adduce evidence and the petitioner to rebut such evidence. The entire exercise be concluded within a period of three months from the date of production of a copy of this order. Needless to state that the Disciplinary Authority shall look into the entire aspect of the matter afresh without at all being prejudiced or biased by the opinion noted down in the order. The opinion rendered are tentative and based on the materials on record at the time of hearing of the petition."

न्यायादेश के अनुपालन में यह विचार किया गया कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास एवं अधीक्षक, राज्य भंडार निगम, रोहतास तथा आरोपी श्री जयचन्द्र प्रसाद को एक साथ बैठाकर इस मामले की सुनवाई की जाय, तदोपरांत इसमें निर्णय ली जाय। इसके तहत दिनांक–19.08.2019, दिनांक–02.09.2019, दिनांक–19.09.2019, दिनांक–10.10.2019 एवं दिनांक–18.10.2019 को इस मामले की सुनवाई की गई और अंत में तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास संप्रति जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर एवं परिवहन अभिकर्त्ता श्री संदीप कुमार सिंह का पक्ष भी दिनांक–13.12.2019 को सुना गया।

जिला पदाधिकारी, रोहतास के आदेश ज्ञापांक–688/आ० दिनांक–27.04.2012 द्वारा क्रय रब्बी विपणन वर्ष 2012–13 में गेहँ क्रय से संबंधित पदाधिकारियों के दायित्व का निर्धारण किया गया है। इसके तहत क्रय केन्द्र प्रभारी का दायित्व में यह भी दायित्व है कि क्रय केन्द्र प्रभारी प्रत्येक दिन क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा संबंधी प्रतिवेदन अपने–अपने अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी,जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को संध्या 6 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

जिला पदाधिकारी के उक्त आदेश के तहत जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को उनके सभी क्रय केन्द्रों पर सही अधिप्राप्ति हेतु सीधे तौर पर जिम्मेवार बनाया गया है। उनका यह भी कर्त्तव्य था कि वे प्रत्येक दिन अपने सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों से संपर्क कर गेहूँ अधिप्राप्ति की समीक्षा करेंगे तथा किसी भी अड़चन/बाधा को तत्काल दूर करेंगे तथा यदि अनियमितता पाई जाती है तो अनियमितता के लिए दोषी पदाधिकारी/ कर्मचारी चिन्हित कर समुचित अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

(A) सुनवाई के क्रम में श्री जयचन्द्र प्रसाद, तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी बेलवईया द्वारा लिखित रूप से समर्पित किया गया है कि उनके द्वारा कुल 31369.75 क्विंटल गेहूँ क्रय किया गया था। इसमे से 30273.70 क्विंटल गेहूँ BSWC राज्य भंडार निगम के गोदाम में आपूर्त्ति कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त परिवहन अभिकर्त्ता के नामित ट्रक ड्राईवर एवं उनके प्रतिनिधि को कुल चार ट्रकों में कुल 925 क्विंटल गेहूँ उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा कुल 31198.70 क्विंटल गेहूँ उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 171.05 क्विंटल गेहूँ ही उनके पास रह गया जिसकी देनदारी इन पर है। यह गेहूँ भी इसलिये रह गया क्योंकि गेहूँ का सुखवन जाने, नीचे की बोरी का सड़ जाने इत्यादि अन्य कारणों से क्षति हुई। श्री जयचन्द्र प्रसाद द्वारा साक्ष्य के रूप में अभिलेख भी लगाया गया है जिसमें परिवहन अभिकर्त्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किया गया प्रपत्र भी सम्मिलित है।

(B) अधीक्षक, राज्य भंडार निगम, सासाराम द्वारा लिखित रूप से यह प्रतिवेदित किया गया है कि बेलवईया क्रय केन्द्र से उनके भंडार में कुल 30273.70 क्विंटल गेहूँ की आपूर्त्ति की गयी है। इसके अनुसार श्री जयचन्द्र प्रसाद द्वारा कुल क्रय किये गये गेहूँ 31369.75 क्विंटल में से उक्त आपूर्त्ति करने के बाद मात्र 31369.75–30273.70 = 1096.05 क्विंटल गेहूँ ही श्री जयचन्द्र प्रसाद के पास अवशेष था।

(C) जिला पदाधिकारी, रोहतास के माध्यम से आपूर्ति प्रशाखा, समाहरणालय, रोहतास द्वारा भेजे गये आरोप पत्र में श्री जयचन्द्र प्रसाद पर कुल 1425.05 क्विंटल गेहूँ गायब करने का आरोप लगाया गया था जबकि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास द्वारा जो अभिलेख समर्पित किया गया जिसमें उनका पत्रांक–1337 दिनांक–09.10.2019 एवं पत्रांक–3026 दिनांक–28.11.2013 भी सम्मिलित है, से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री जयचन्द्र प्रसाद, तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी, बेलवईया के ऊपर कुल 1283.90 क्विंटल गेहूँ ही बकाया था।

(D) तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास द्वारा दिनांक–16.12.2019 को समर्पित अपने लिखित पक्ष में यह स्पष्ट किया है कि जिस चार ट्रक द्वारा 925 क्विंटल गेहूँ परिवहन अभिकर्त्ता के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराने के बाद जो गुणवर्त्ता पूर्ण नहीं होने के चलते लौट गया और प्राप्त नहीं हुआ की बात श्री जयचन्द्र प्रसाद द्वारा कही गयी है वह गलत है क्योंकि उक्त चार ट्रक गेहूँ का परिवहन दिनांक–12.07.2012 से 07.08.2012 के बीच कराया गया है जबकि श्री प्रसाद द्वारा दिनांक–01.09.2012 को प्रमाण पत्र दिया गया है कि परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा एस०डब्लू०सी० से वापस चार ट्रक गेहूँ उनके गोदाम में उतार दिया गया जिसके लिए मजदूरों को

उनके हथालन का भुगतान करने की अनुशंसा की गयी है । लेकिन अपने प्रतिवेदन में श्री जयचन्द्र प्रसाद के पास गेहूँ के कुल गबन की मात्रा 1283.90 क्विंटल हीं बताया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।

(E) दिनांक –13.12.2019 को अपना पक्ष रखते समय परिवहन अभिकर्त्ता श्री संदीप कुमार सिंह ने लिखित रूप से यह स्पष्ट किया कि वाहन संख्या–JH05Q9662 दिनांक–12.07.2012, JH05Q9662 दिनांक–20.07.2012, JH12B 8919 दिनांक–06.08.2012 एवं JH09E6223 दिनांक–07.08.2012 द्वारा कुल 925 क्विंटल गेहूँ उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाव किया गया था लेकिन FCI द्वारा मानक गुणवर्त्ता से कम पाये जाने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया जिसके कारण उन्ही ट्रकों द्वारा उस गेहूँ को क्रय केन्द्र प्रभारी श्री जयचन्द्र प्रसाद के गोदाम में सौंप दिया गया। इसका लिखित प्रमाण भी जयचन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक–01.09.2012 को दिया गया है जिसकी छायाप्रति श्री संदीप कुमार सिंह ने संलग्न किया है।

राज्य खाद्य निगम, रोहतास द्वारा गेहूँ के नीलामी से संबंधित जो अभिलेख उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार नीलामी हेतु कुल 1425.05 क्विंटल गेहूँ बेलवईया क्रय केन्द्र पर अवशेष दिखाया गया है। इस प्रकार जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास के स्वयं के आँकड़ों में भिन्नता है। एक तरफ उनके द्वारा नीलामी के लिए क्रय केन्द्र बेलवईया पर अवशेष गेहूँ की मात्रा 1425.05 क्विंटल गेहूँ दिखाया गया है दूसरी तरफ उनके द्वारा श्री जयचन्द्र प्रसाद को निर्गत नोटिस में केवल 1283.90 क्विंटल गेहूँ की कमी दिखायी गयी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास के पत्रांक–1587 दिनांक–17.10.2019 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि बेलवईया क्रय केन्द्र में कुल 30,023.70 क्विंटल गेहूँ का विपत्र ही परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता को पारित किया गया है। उनके द्वारा वापस किये गये गेहूँ का विपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। बेलवईया क्रय केन्द्र से जितनी गेहूँ की मात्रा की ढुलाई की गई है उस मात्रा का विपत्र जिला कार्यालय द्वारा पारित कर भुगतान करने हेतु समर्पित किया गया ।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि राज्य खाद्य निगम, रोहतास का आँकड़ा आपस में भिन्न–भिन्न है और उसके आधार पर श्री जयचन्द्र प्रसाद पर गठित आरोप में दिखाया गया गेहूँ के गबन की मात्रा त्रुटिपूर्ण है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री जयचन्द्र प्रसाद द्वारा 31,369.75 क्विंटल गेहूँ का क्रय किया गया था और उनके द्वारा राज्य भंडार निगम में 30,273.70 क्विंटल गेहूँ आपूर्त्ति कर दी गयी है । शेष 1096.05 क्विंटल गेहूँ गायब है जिसमें से 171.05 क्विंटल गेहूँ के संबंध में श्री जयचन्द्र प्रसाद की स्वीकारोक्ति है कि यह गेहूँ उनके पास नष्ट हो गया था जिसकी जबावदेही उनकी है। शेष बचे 925 क्विंटल के संबंध में श्री जयचन्द्र प्रसाद का कहना है कि उनके द्वारा परिवहन अभिकर्त्ता के प्रतिनिधि को 4 (चार) ट्रक गेहूँ दिनांक–12.07.2012, 20.07.2012, 06.08.2012 एवं 07.08.2012 को उपलब्ध करा दिया था जिसकी प्राप्ति रसीद उनके पास है लेकिन राज्य भंडार निगम का प्राप्ति रसीद परिवहन अभिकर्त्ता ने इनको लाकर नहीं दिया। इस संबंध में परिवहन अभिकर्त्ता का कहना है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ अस्वीकृत कर दिया गया था वह सभी गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारी को वापस कर दिया गया है और वापस किये गये गेहूँ के ढुलाई का विपत्र भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ में श्री जयचन्द्र प्रसाद के हस्त लिखित एक प्रमाण पत्र भी अभिलेख में प्राप्त हुआ है जिसमें

स्पष्ट है कि उनके गोदाम में उक्त चार ट्रक गेहूँ वापस आ गया है। जिला पदाधिकारी, रोहतास के आदेश में यह स्पष्ट है कि क्रय केन्द्र प्रभारी प्रत्येक दिन गेहूँ की मात्रा का प्रतिवेदन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को देगें। अगर परिवहन अभिकर्त्ता के प्रतिनिधि द्वारा गेहूँ वापस नहीं किया गया तथा भारतीय खाद्य निगम/राज्य भंडार निगम का पावती रसीद उनको नहीं मिला तो इसकी तुरत सूचना जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा अन्य पदाधिकारियों को देनी चाहिए थी जो श्री जयचन्द्र प्रसाद द्वारा नहीं दिया गया है। इन चार ट्रकों के बाद की तिथि में भी श्री जयचन्द्र प्रसाद द्वारा गेहूँ की आपूर्त्ति की गयी है। यहाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि इस मामले में क्रय केन्द्र प्रभारी श्री जयचन्द्र प्रसाद द्वारा अपने दायित्वों का सही ढ़ग से निर्वहन नहीं किया गया है। बेलवईया क्रय केन्द्र से राज्य भंडार निगम में कुल आपूर्त्ति की गयी गेहूँ की मात्रा 30,273.70 क्विंटल है शेष 1096.05 क्विंटल गेहूँ लापता है जिसमें से 171.05 क्विंटल गेहूँ के जवाबदेही के संबंध में श्री जयचन्द्र प्रसाद की स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि इसके लिए वे जवाबदेह हैं। शेष बचे चार ट्रकों से संबंधित 925 क्विंटल गेहूँ के संबंध में यथा अभिलेख यह स्पष्ट होता है कि इसके लिए भी श्री जयचन्द्र प्रसाद, तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी, बेलवईया ही पूर्णतः जिम्मेवार हैं।

4. सुनवाई के क्रम में सभी पक्षों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात श्री जयचन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दिनारा, रोहतास –सह–क्रय केन्द्र प्रभारी बेलवईया संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रामगढ़ प्रखंड, कैमूर 1096.05 क्विंटल गेहूँ को गायब करने के लिए जिम्मेदार हैं। 1096.05 क्विंटल गेहूँ का मूल्य उस समय के सरकारी दर से रू० 1426.04 प्रति क्विंटल की दर से मो० 1563011.14 (पन्द्रह लाख तिरसठ हजार ग्यारह रूपये चौदह पैसे) रूपये होता है ।

उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री जयचन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दिनारा, रोहतास –सह–क्रय केन्द्र प्रभारी बेलवईया संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रामगढ़ प्रखंड, कैमूर पर उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन से 40% (चालीस प्रतिशत) की राशि अगले दस वर्षो तक कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जयचन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दिनारा, रोहतास –सह–क्रय केन्द्र प्रभारी बेलवईया संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रामगढ़ प्रखंड, कैमूर पर उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन से 40% (चालीस प्रतिशत) की राशि अगले दस वर्षो तक कटौती करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः–स्था०1/वि०3–22/2015 323 पटना, दिनांक :– 18/02/2020

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

3. जिला पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. प्रखड विकास पदाधिकारी, दिनारा प्रखंड, रोहतास/रामगढ़ प्रखंड, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री जयचंद प्रसाद,सेवानिवृत प्रखंड संख्यिकी पर्यवेक्षक, रामगढ़ प्रखंड, कैमूर(भभुआ), गृह पता– पिता– स्व०चिरकुट राम, ग्राम– सकड्डी, थाना–कोईलवर, जिला–भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/2